न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल

ग्वालियर सर्किट केम्प भोपाल.

प्रकरण कमॉक–   /2016–17

R-778-PBR/17

1– मो0 सलीम खॉ आ0 कल्लू खॉ
2– छोटीबाई पुत्री कल्लू खॉ
दोनो निवासी– ग्राम रूसल्ली तहसील बैरसियॉ
जिला भोपाल म0प्र0
3– सित्तों बी पुत्री कल्लू खॉ
निवासी–ग्राम चॉदवल्डी (कुरावर)
तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ म0प्र0। .... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मो0 शफीक आ0 कल्लूखॉ
2– अनवर खॉ
3– निशार खॉ
4– अंशार खॉ
5– आशिक खॉ
6– सरीफ खॉ
7– शकीला बी
8– अकीला बी
9– अनीसा बी
10– हसीना बी
11– चॉदनी बी कमॉक–2 से 11 आ0 रफीक खॉ
12– छोटी बी पत्नि रफीक खॉ
13– अनीस खॉ
14– रईस खॉ
15– हनीफ खॉ
16– सन्नो बी
17– शानू बी कमॉक–11 से 15 आ0 अजीज खॉ
18– शाहजहॉ बेवा अजीज खॉ
सभी निवासी– ग्राम रूसल्ली तहसील बैरसियॉ
जिला भोपाल म0प्र0 .... अनावेदकगण

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से विद्वान नायब तहसीलदार महोदय वृत्त–3 हर्राखेडा तहसील बैरसिया जिला भोपाल द्वारा उनके प्रकरण कमॉक–19/अ–27/2015 में पारित आदेश दिनॉक–24–12–2016 से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

[illegible]/17 जिला भोपाल

[illegible]	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
[illegible]-2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–12–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है, अतः व्यवहार वाद के अंतिम निराकरण तक बटवारे की कार्यवाही रोकी जाये । इस संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पटटे की होने के संबंध में आवेदक द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और न ही उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही को रोकने संबंधी व्यवहार न्यायालय का स्थगन प्रस्तुत किया गया है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	